तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 225/2014 अंतर्गत धारा–76 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2014/00178)

अनवानः

1. अली खां पुत्र कमू खां जाति मुसलमान निवासी चक 3 एम एल डी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

बनाम

1. पीरन खां पुत्र अब्दे खां जाति मुसलमान निवासी रोजड़ी तहसील घड़साना जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार घड़साना जिला श्रीगंगानगर।

23.10.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अभिभाषकगण उपस्थित। अभिभाषक अपीलान्ट को सिविल न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की वर्तमान स्थिति ज्ञात कर पेश करने हेतु दिनांक 02.03.2015 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नही किये हैं। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक उक्त वांछित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(2) के तहत अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 23.10.2024 को सुनाया गया।

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

E. Nimay 2020